

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर 2017—कार्तिक 19, शक 1939

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 28 अक्टूबर 2017

क्र. स्था.निर्वा.-डूडा-3136-2017.—दिनांक 23 अक्टूबर 2017 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण नियम 1994 के नियम 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी, नगरपालिका पीथमपुर के वार्डों को नीचे दी गई सारणी के अनुसार आरक्षित करते हुए नियम 7 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करता हूँ:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)	आरक्षित/अनारक्षित (3)	वर्ग (4)
1	वार्ड क्र. 01 गवला वार्ड	आरक्षित	अ. ज. जा. मुक्त
2	वार्ड क्र. 02 पुरानी धन्नड वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
3	वार्ड क्र. 03 नई धन्नड वार्ड	आरक्षित	अ. जा. महिला
4	वार्ड क्र. 04 वीर सावरकर वार्ड	आरक्षित	पिछड़ा वर्ग महिला
5	वार्ड क्र. 05 भोडिया वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
6	वार्ड क्र. 06 "बी" हाउसिंग वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित मुक्त
7	वार्ड क्र. 07 जवाहर वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित मुक्त
8	वार्ड क्र. 08 छत्रछाया वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित मुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)
9	वार्ड क्र. 09 इण्डस वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
10	वार्ड क्र. 10 गांधी वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
11	वार्ड क्र. 11 सरदार पटेल वार्ड	आरक्षित	पिछड़ा वर्ग महिला
12	वार्ड क्र. 12 भगतसिंह वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित मुक्त
13	वार्ड क्र. 13 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
14	वार्ड क्र. 14 विकास भवन वार्ड	आरक्षित	पिछड़ा वर्ग मुक्त
15	वार्ड क्र. 15 लक्ष्मी बाई वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित मुक्त
16	वार्ड क्र. 16 बजरंग नगर वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
17	वार्ड क्र. 17 जयनगर वार्ड	आरक्षित	पिछड़ा वर्ग महिला
18	वार्ड क्र. 18 अकोलिया वार्ड	आरक्षित	अ.ज.जा. महिला
19	वार्ड क्र. 19 बरदरी वार्ड	आरक्षित	अ.ज.जा. महिला
20	वार्ड क्र. 20 खेडा जामोदी वार्ड	आरक्षित	अ. ज. जा. मुक्त
21	वार्ड क्र. 21 कुटी वार्ड	आरक्षित	पिछड़ा वर्ग मुक्त
22	वार्ड क्र. 22 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड	आरक्षित	अ. जा. मुक्त
23	वार्ड क्र. 23 मोती नगर वार्ड	आरक्षित	अ. जा. महिला
24	वार्ड क्र. 24 बस स्टेण्ड वार्ड	आरक्षित	पिछड़ा वर्ग मुक्त
25	वार्ड क्र. 25 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित मुक्त
26	वार्ड क्र. 26 जुनी सागौर वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित मुक्त
27	वार्ड क्र. 27 नई बगदुन वार्ड	आरक्षित	पिछड़ा वर्ग मुक्त
28	वार्ड क्र. 28 पुरानी बगदुन वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित मुक्त
29	वार्ड क्र. 29 नया मण्डलावदा वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
30	वार्ड क्र. 30 इण्डोरमा वार्ड	आरक्षित	पिछड़ा वर्ग महिला
31	वार्ड क्र. 31 पुराना मण्डलावदा वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, (शहरी विकास) जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 25 सितम्बर 2017

क्र. 1920-डूडा-2017.— मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक 1-30/2017/18-3/भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2017 से प्राप्त स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सागर जिले की मालथौन ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को मालथौन नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति रखता है, तो राज्य पत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला सागर को प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा.

नगर परिषद् मालथौन गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम.

क्रमांक	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सागर	मालथौन	मालथौन	मालथौन कुंवरपुरा अण्डेला मांदरी इटवा बेसरा योग . .	813 524 1288 1680 824 769 5898	मालथौन, उद्वेतपुरा कुंवरपुरा, धौरईखास, सीपुरखास, चक्कधौरईखास अण्डेला, गंगड, रमपुरा, बधोनिया, चक्क बधोनिया मांदरी, नोठा, पलेथनी, ढिमरई, सुकालीपुरा इटवा, अमाईरमगढ़ा, तीतरी, गौरार बेसरा, जामुनढाना, कुलुवाखास

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलोक कुमार सिंह, कलेक्टर

सागर, दिनांक 25 सितम्बर 2017

क्र. 1920-डूडा-2017.— मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला सागर में नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है. इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम नगर परिषद् हो जाने के कारण विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित करता हूँ :—

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सागर	मालथौन	मालथौन	मालथौन कुंवरपुरा अण्डेला मांदरी इटवा बेसरा	मालथौन, उद्वेतपुरा कुंवरपुरा, धौरईखास, सीपुरखास, चक्कधौरईखास अण्डेला, गंगड, रमपुरा, बधोनिया, चक्क बधोनिया मांदरी, नोठा, पलेथनी, ढिमरई, सुकालीपुरा इटवा, अमाईरमगढ़ा, तीतरी, गौरार बेसरा, जामुनढाना, कुलुवाखास

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलोक कुमार सिंह, कलेक्टर

सागर, दिनांक 25 सितम्बर 2017

क्र. 1922-डूडा-2017.— मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक 1-30/2017/18-3/भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2017 से प्राप्त स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सागर जिले की मालथौन ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को बांदरी नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति रखता है, तो राज्य पत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला सागर को प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा.

नगर परिषद् बांदरी गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम.

क्रमांक	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सागर	मालथौन	बांदरी	बांदरी पिठौरिया अटाटीला झीकनी नेतना इमलियाखुर्द वमनोरा योग . .	12107.96 1237.38 444.58 340.42 609.35 247.53 330.95 4418.17	बांदरीकरौती पिठौरिया, छिरारू अटाटीला, उमावढ़ा (वनग्राम) झीकनी, बरोदिया चन्द्रापुर नेतना, बहरगुवां इमलियाखुर्द, पिथौली, सेमराअटा, मुडियागुसाई वमनोरा, आगार्सिस

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलोक कुमार सिंह, कलेक्टर

सागर, दिनांक 1 नवम्बर 2017

क्र. 2204-डूडा-2017.— मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला सागर के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है. इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम नगर परिषद् हो जाने के कारण विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित करता हूँ :—

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सागर	मालथौन	बांदरी	बांदरी पिठौरिया अटाटीला झीकनी नेतना इमलियाखुर्द वमनोरा	बांदरीकरौती पिठौरिया, छिरारू अटाटीला, उमावढ़ा (वनग्राम) झीकनी, बरोदिया चन्द्रापुर नेतना, पहरगुवां इमलियाखुर्द, पिथौली, सेमराअटा, मुडियागुसाई वमनोरा, आगार्सिस

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलोक कुमार सिंह, कलेक्टर